संख्याः 709/69-1-45 एन.आर.वाई./96

प्रेषक,

श्री सुधीर कुमार,
सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
प्रधानमंत्री एकीकृत नगरीय गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित समस्त जनपद।

लखनऊ : दिनांकः 24 अक्टूबर, 96

नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग

विषय : **प्रधानमंत्री की एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन योजना में लघु उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार सृजन।**

महोदय,

आपके जनपद में चयनित नगरों में प्रधानमंत्री की एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन योजना संचालित की जा रही है, इसमें मूलभूत भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ बेरोजगार युवकों को लघु उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके लिए चयनित लाभार्थियों को एक लाख रुपये तक का ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

2. लघु उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार सृजन करने की योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे लघु उद्यमों का चयन किया जाय जो नगर की जनता की आवश्यकता के अनुरूप हों एवं ऐसे उद्यमों की, जिनकी उपयोगिता आगे भी बनी रहे। ऐसे लघु उद्यमों के चयन करने हेतु काफी छानबीन करके नगर की एक प्रोफाइल बनाई जानी चाहिए और उसी के अनुरूप लाभार्थियों का चयन कर लघु उद्यमों की स्थापना कराई जानी चाहिए। इस प्रोफाइल को तैयार करने के लिए जनपद के लीड बैंक अधिकारी व जिला उद्योग केन्द्र के प्रबन्धक का सहयोग किया जाय, तभी लघु उद्यम स्थापना कार्यक्रम को सार्थक ढंग से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

3. उद्यमों की स्थापना हेतु चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस ढंग से चयनित किया जाना चाहिए कि स्थापित किये जाने वाले लघु उद्यम की बारीकियों से प्रशिक्षु अवगत होकर लघु उद्यमों की स्थापना में अपना सम्यक योगदान देते हुए उसे पूर्णतया विकसित कर सकें। कुछ नगरों में पाया गया है कि वही संख्या में सिलाई मद में प्रशिक्षण आयोजित किये गये, यह समझा पाना कठिन है कि यदि उन सभी लोगों को एक

लाख रुपये का ऋण रेडीमेड वस्त्रों के निर्माण एवं बिक्री के लिए स्वीकृत कराया जाय तो क्या इतनी बड़ी संख्या में व्यवसाय वहाँ पर सम्भव होगा। तात्पर्य यह है कि लघु उद्यमों के लिए आवश्यकता का आंकलन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार से आयोजित किये जाने चाहिए जिससे प्रशिक्षित लोग वास्तव में उद्योगों की स्थापना कर सके।

4. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक नगर में लघु उद्यम की स्थापना के लिए उपरोक्तानुसार एक माह के अन्दर प्रोफाइल बनवाने तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण एवं ऋण की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। कृपया प्रत्येक नगर के लिए बनाये गये लघु उद्यम प्रोफाइल सूडा को भी उपलब्ध करा दी जाय।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)
सचिव।

संख्याः **787ए(1)/69-1-45** एन.आर.वाई./**96**, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ।
(3) प्रधानमंत्री की एकीकृत योजना के चयनित नगर के अधिशासी अधिकारी।
(4) अन्य सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि सूमे योजना के संबंध में इसी प्रकार की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार)
सचिव।